Ex.P.-65

S-83

कथन
(धारा 161 द0प्र0सं0)

थाना–ईओडब्ल्यू, रायपुर
अपराध क्रमांक–09 / 15

जिला–रायपुर।
धारा–109, 120(बी), 409, 420 भा.द.वि., 13(1) (डी)
सहपठित धारा 13(2) भ्र.नि.अ. 1988

दलवीर सिंह उर्फ वीरा सिंह पिता स्व. स्वर्ण सिंह, उम्र 59 वर्ष, निवासी सिरसा रोड, कोहका तालाब के पास, आर्या नगर कोहका, थाना सुपेला दुर्ग। मोबाईल न0 – 9993092472

—00—

मैं दलवीर सिंह पूछने पर बता रहा हूँ कि. मैं दलवीर सिंह एण्ड संस ट्रांसपोर्ट फर्म दुर्ग का मालिक हूँ तथा हरेन्द्र यादव मेरा वर्किंग पार्टनर है। छ.ग. नागरिक आपूर्ति निगम में विगंत 4–5 वर्षों से एच0 एण्ड टी0 (हेण्डलिंग एण्ड ट्रांसपोर्टिंग) एवं एल.आर.टी (लांग रूट ट्रांसपोर्टिंग) कार्य के लिए अधिकृत ट्रांसपोर्टर हूँ। इस कार्य हेतु मुख्यालय नागरिक आपूर्ति निगम रायपुर द्वारा निविदा आमंत्रित की गई थी, जिसमें मैं भी विगत पांच वर्षों से पार्टीसिपेट करते आया हूँ। मुख्यालय द्वारा मेरी दर न्यूनतम होने से परिवहन का कार्य करने के लिए आदेशित किया गया है तथा इस कार्य के लिए अनुबंध जिला प्रबंधक कार्यालय दुर्ग में निष्पादित किया गया है। बिल भुगतान की प्रक्रिया के अनुसार परिवहन कार्य का बिल जिला कार्यालय में प्रस्तुत करने पर जिला प्रबंधक द्वारा अनुमोदन हेतु मुख्यालय भेजा जाता है। मुख्यालय के अनुमोदन के पश्चात् जिला प्रबंधक कार्यालय से चेक के द्वारा भुगतान किया जाता है।

बिल भुगतान की प्रक्रिया अनुसार मेरा बिल अनुमोदन हेतु जब मुख्यालय में भेजा गया तब मेरे द्वारा प्रस्तुत परिवहन बिल के भुगतान मे विलंब होने पर जिला कार्यालय से पता करने पर मालूम पड़ा कि बिल मुख्यालय में लंबित है। मैं और मेरा वर्किंग पार्टनर हरविन्दर यादव मुख्यालय गये, तो, बिल के संबंध में शिवशंकर भट्ट, प्रबंधक(पी.डी.एस.) से मिलने के लिए कहा गया। जब हम अपने परिवहन बिल के संबंध में शिवशंकर भट्ट से उनके केबिन में पहली बार मिले तो उन्होंने पूछा कि कहॉ से आये हो, क्या काम है? तब मैंने अपना परिचय बताया मैं दलवीर सिंह एण्ड संस ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक हूँ तथा हरेन्द्र यादव मेरा वर्किंग पार्टनर है हम दुर्ग जिले में एल.आर.टी. एव एच0 एण्ड टी0 कार्य के अधिकृत परिवहनकर्ता हैं। मेरा परिवहन बिल जिला कार्यालय में काफी दिनों से लंबित है, जिसका भुगतान नहीं हो पा रहा है। मैं काफी दिनों से जिला कार्यालय का चक्कर लगा रहा हूँ। मुझे यह जिला कार्यालय में बताया गया कि आपका बिल मुख्यालय से पास होकर नहीं आया है, जब आयेगा तब हम पेमेंट कर देंगे। भुगतान नहीं होने से हम परेशान होकर आपके पास आए हैं, तब शिवशंकर भट्ट ने हमसे कहा कि जब तक आप हमारी सेवा नहीं करेंगे तब तक आपका बिल पास नहीं होगा। तब मैंने पूछा कि कैसी सेवा करनी पड़ेगी तो भट्ट द्वारा कहा गया कि प्रत्येक

बिल पास करने के लिए बिल राशि का 10 प्रतिशत कमीशन तुम्हें हर बार देना होगा तब तुम्हारा बिल तत्काल में पास हो जायेगा, नहीं तो पेमेंट के लिए भटकते रहोगे, और तुम्हारे परिवहन कार्य में कमी निकालकर परेशान किया जाएगा, 10 प्रतिशत कमीशन देते रहोगे तो बिल पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी और तुम्हारा काम सुचारू रूप से चलता रहेगा। श्री भट्ट द्वारा यह भी कहा गया कि मुझे अपने एम.डी. श्री अनिल टुटेजा को इन सब कामों का पैसा इकट्ठा कर देना पड़ता है। हम लोग काफी दिनों से परेशान थे इसलिए मजबूरी में हमें शिवशंकर भट्ट की बात माननी पड़ी और प्रत्येक बिल राशि अनुसार 10 प्रतिशत कमीशन शिवशंकर भट्ट के बताए अनुसार गिरीश शर्मा के पास देते रहे। पूछने पर बताया कि हमने कई बार कमीशन की राशि भट्ट के कहने पर गिरीश शर्मा को दी थी, लेकिन मुझे आज याद नहीं कि किस दिनांक को कितनी राशि दिया था। यदि मैं शिवशंकर भट्ट की बात नहीं मानता तो वह मेरा काम बंद करा देता। अतः कमीशन देना मेरी मजबूरी थी। होरा ट्रांसपोर्ट के होरा अनिल टुटेजा के अभिन्न मित्र है एवं उनसे पारिवारिक संबंध हैं इसलिए अनिल टुटेजा हमें भय दिखाते थे कि यदि कमीशन का पैसा नहीं दिया जायेगा तो ट्रांसपोर्ट का काम होरा ट्रांसपोर्ट को दे दिया जायेगा। यही मेरा कथन है।

ROAC, before me,

04/05/15

(एस.डी. देवस्थले)
निरीक्षक
ई0ओ0डब्ल्यू0 रायपुर।